न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20/2019

अपीलांट्स–	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
1. लीला देवी पत्नी पवन कुमार 2. जितेन्द्र पुत्र पवन कुमार 3. रोहित पुत्र पवन कुमार 4. पूजा पुत्री पवन कुमार जाति ओसवाल निवासी कल्याणपुरा मार्ग नंबर 4 जिला बाड़मेर		1. दिनेश कुमार पुत्र मेवाराम 2. राकेश कुमार पुत्र मेवाराम जाति ओसवाल निवासी कल्याणपुरा मार्ग नंबर 4 जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार गुडामालानी 4. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1452 दिनांक 19.03.2012 जो तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 3 व 4 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 22.12.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी के द्वारा भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 1452 दिनांक 19.03.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गुणेशाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी के [illegible] रकबा 4 बीघा किस्म गैर मुमकिन औद्योगिक भूमि पवन कु[illegible] कुमार, राकेश कुमार पि0 मेवाराम कौम ओसवाल [illegible] बाड़मेर के [illegible] औद्योगिक भूमि अरिहन्त इण्डस्ट्रीज धोरीमन्ना के [illegible] पक्षकारान ने प्र[illegible]पत्र दिनांक 16.03.2012 को तहसीलदार गुडामा[illegible] के समक्ष प्रस्तुत [illegible]ना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदारान विभाजन प्रस्ताव अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1452 दिनांक 19.03.2012 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 1452 दिनांक 19.03.2012 पारित करने में भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की है। अपीलांट संख्या 1 के पति व 2 से 4 के पिता पवन कुमार एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 मौके पर बाहमी तौर से भाई बंट अनुसार बंटवारा कर काबिज थे। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने पवन कुमार, जो कि कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित था, को विश्वास में लेकर कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करवा दिये। इन कागजात का उपयोग कर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने बंटवाड़ा कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष पेश हुए। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट्स को धोखे में रखकर छल व कपट से अपीलांट्स की औद्योगिक भूमि को अपने हिस्से मे बंटवाड़ा करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित औद्योगिक भूमि का विभाजन बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी को केवल राजस्व भूमि से संबंधित विवादों का सुनवाई क्षेत्राधिकार है, खातेदारी एवं औद्योगिक भूमि के विवादों पर सुनवाई क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय का होने से अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार विहीन होने के आधार पर निरस्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट संख्या 2 ने अपने पिता पवन कुमार के देहान्त के 10 दिन बाद जब वादग्रस्त भूमि से संबंधित घर के दस्तावेज देखे तो सर्वप्रथम उक्त विवादित बंटवाडे का ज्ञान हुआ। अपीलांट्स ने उक्त बंटवाडे के दावे की नकल दिनांक 19.07.2019 को प्राप्त की और उक्त दिनांक से अन्दर मयाद ही यह अपील प्रस्तुत की है। साथ ही धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। इस प्रकार जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गुणेशाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नंबर 914/782 रकबा 4 बीघा किस्म गैर मुमकिन औद्योगिक भूमि पवन कुमार, दिनेश कुमार, राकेश कुमार पि0 मेवाराम कौम ओसवाल सा0 बाड़मेर के नाम औद्योगिक भूमि अरिहन्त इण्डस्ट्रीज धोरीमन्ना के रूप में दर्ज थी। उक्त पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2012 को तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी धोरीमन्ना द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबंदी एवं नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर सहखातेदारान विभाजन प्रस्ताव अनुसार काबिज हैं। इस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1452 दिनांक 19.03.2012 पारित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55(2) के तहत खातेदारी भूमि के विभाजन का प्रावधान विहित किया गया है जिसमें सहखातेदारान द्वारा आपसी रजामंदी से लगान का विभाजन एवं भूमि का हिस्सा प्रस्तावित कर विभाजन इकरारनामा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनकी सहमति एवं रजामंदी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि अपीलांट संख्या 1 के पति पवन कुमार व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की शामिलाती औद्योगिक किस्म की भूमि है जिसके विभाजन हेतु सुनवाई क्षेत्राधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश स्पष्टतया क्षेत्राधिकार विहीन होने से बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमाक 1452 दिनांक 19.03.2012 अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओमप्रकाश विश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested